झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3633/2023

अंकुल साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता - दुखु साहू, निवासी - 1397, परदेसी पाड़ा, सोनारी, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन सोनारी, टाउन जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम ... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... प्रतिवादी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जितेंद्र नाथ उपाध्याय, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, अतिरिक्त लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अनुसूचित जनजाति 2016 की संख्या 169 में दिनांक 21.11.2019 को पारित आदेश को रद्द किया जाए, जिसे जमशेदपुर के माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अभियुक्त दीपक मुखर्जी के जमानतदार पर नोटिस जारी किया गया था, और इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति 2016 की संख्या 169 में दिनांक 05.01.2022 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाए,

जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक मुखर्जी के जमानतदार पर डिस्ट्रेस वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था। यह मामला वर्तमान में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि हालांकि इस वर्तमान आपराधिक विविध याचिका में कई प्रार्थनाएँ की गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना को 05.01.2022 के आदेश को रद्द करने तक सीमित करता है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका, एम.सी.ए. 2019 का क्रमांक 3754, को 2016 का सत्र परीक्षण संख्या 169 में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह याचिका कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 05.12.2019 की याचिका की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसके आधार पर एम.सी.ए. 2019 का क्रमांक 3754 दर्ज की गई थी, और उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उन्होंने जमानत बॉंड पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और याचिकाकर्ता का एक धोखेबाज व्यक्ति श्री एस. आर. बारिया, अधिवक्ता द्वारा गलत तरीके से पहचाना गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की जांच किए बिना अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर ने इसे स्वीकार करने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

5. राज्य के लिए उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर गंभीर आपत्ति नहीं की।

6. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, यह उल्लेख करना उचित है कि चूंकि याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि उसने मामले के आरोपी दीपक मुखर्जी का जमानतदार नहीं बना, इसलिए यह आवश्यक था कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर द्वारा याचिकाकर्ता के दावे की सत्यता की जांच करवाई जाती और यदि यह पाया जाता कि आरोपी द्वारा जमानत बॉंड्स में कोई धोखाधड़ी की गई है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि संबंधित अधिकारी के समक्ष आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाती। लेकिन ऐसा न करने और केवल इस आधार पर याचिका को खारिज कर देना कि यह याचिका स्वीकार्य नहीं है, कानून के तहत निश्चित रूप से सही नहीं है, इसलिए यह निर्णय दोषपूर्ण है।

7. तदनुसार, 05.01.2022 के उक्त आदेश का वह भाग, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर ने याचिकाकर्ता की 05.12.2019 की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह स्वीकार्य नहीं है, जबकि उन्हें याचिकाकर्ता के दावे की सत्यता की जांच करने का निर्देश देना चाहिए था, उसे रद्द किया जाता है और उसे निरस्त किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप, एम.सी.ए. 2019 का क्रमांक 3754 को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर की फाइल में बहाल किया जाता है, और अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-चतुर्थ, जमशेदपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के दावे की सत्यता की जांच करवाई जाए और उसके बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

9. इस आपराधिक विविध याचिका को उपयुक्त रूप से निस्तारित किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, ज.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
19 फरवरी, 2024 को
एएफआर/अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**